**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**स्‍कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग**

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या : 72**

**उत्तर देने की तारीखः 27.07.2015**

**विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं**

**\*72. श्री राम नारायण डूडीः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सभी विद्यालयों में शौचालय सुविधाएं मुहैया कराने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान में विद्यालयों में शौचालय, खेल के मैदान, पेयजल, फर्नीचर, आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

मानव संसाधन विकास मंत्री

**(**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

1. **और (ख) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**\*\*\*\*\***

**“**विद्यालयों में शौचालयों की सुविधाओं**”** के संबंध में श्री राम नारायण **डूडी** द्वारा दिनांक 27.7.2015 को राज्‍य सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 72 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित विवरण।

**(क) : वर्ष 2014 में स्‍वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा स्‍कूलों में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय के प्रावधान की घोषणा के अनुसरण में मंत्रालय ने स्‍वच्‍छ विद्यालय पहल शुरू की है। राज्‍यों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी सरकारी स्‍कूलों में एक वर्ष के भीतर बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों की सुविधा सुनिश्‍चित करें। इसके अलावा, नि:शुल्‍क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 की अनुसूची की मद 2(iii) में यह भी कहा गया है कि प्रत्‍येक मान्‍यता-प्राप्‍त स्‍कूल में बालकों और बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय होने चाहिए।**

**(ख) : सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) और राष्‍ट्रीय माध्‍यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) कार्यक्रमों के अंतर्गत मंत्रालय स्‍कूल अवसंरचना में वृद्धि और सुधार के लिए राज्‍यों और संघ राज्‍य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करता है।**

 **एसएसए कार्यक्रम के अंतर्गत, वर्ष 2014-15 तक राजस्‍थान में 390291 छात्रों के लिए 44201 शौचालय, 23311 पेयजल सुविधाएं और फर्नीचर स्‍वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार आरएमएसए कार्यक्रम के अंतर्गत, राजस्‍थान के 3798 स्‍कूलों के लिए 1279 शौचालय ब्‍लॉक**, 257 **पेयजल सुविधाएं और फर्नीचर स्‍वीकृत किए गए हैं। छात्रों को आउट-डोर गेम्‍स की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को अन्‍य योजनाओं के अभिसरण से और अन्‍य खेल के मैदानों अथवा म्‍यूनिसिपल पार्कों के साथ इंतजाम करके, खेल के मैदान की सुविधाएं प्रदान करने का परामर्श दिया गया है।**